<u>न्यायालय ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०), कुशीनगर, स्थान–पडरौना।</u>

दिलीप बनाम राजू आदि

परिवाद संख्या– 4780/2020

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 3443/2026

<u>11.08.2026</u>

परिवाद संख्या– 4780/2020, धारा– 323, 504, 506, 452, 427 भा०दं० सं०, थाना– कप्तानगंज, जनपद– कुशीनगर के मामले में अभियुक्तगण **राजू व रवि कुमार साहनी** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से समक्ष न्यायालय उपस्थित। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह निर्दोष है उसको फर्जी तरीके से फंसाया गया है। वह जमानत मुचलका देने को तैयार हैं। अतः उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया जावे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित आकर आत्मसमर्पण किया गया है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। मामला परिवाद पर आधारित है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु० **बीस** हजार रूपये की **एक** जमानत एवं इतने ही धनराशि के निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०)

कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by PRABHAT SINGH
Date: 2026.08.11 04:59:14 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court